



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231121
CG-DL-E-13112021-231121

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4341]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943

No. 4341]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2021

का.आ. 4707(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच -24 एवं बरेली पूर्वी बाईपास को जोड़ने वाला पश्चिमी बाईपास/रिंग रोड के किमी 0.00 किमी. से 19.200 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच -24 एवं बरेली पूर्वी बाईपास को जोड़ने वाला पश्चिमी बाईपास/रिंग रोड की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Ring Road	उत्तर प्रदेश	बरेली	बरेली	1 सराय तलफी ऐ0

		के कि.मी. 0 से 19.2 तक			
--	--	---------------------------	--	--	--

[फा. सं. 19002/1/2018/PIU-Brly]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2021

S.O. 4707(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from

Km. 0.000 to Km. 19.200 for Development of Bypass/ Ring Road on Western side of Bareilly connecting NH-24 and eastern bypass of Bareilly in the state of Uttar Pradesh for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition for Development of Bypass/ Ring Road on Western side of Bareilly connecting NH-24 and eastern bypass of Bareilly in the state of Uttar Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer	0 KM To 19.2KM	UTTAR PRADESH	BAREILLY	Bareilly	1 Sarai Talfi Ehtmal

[F. No. 19002/1/2018/PIU-Brly]

RAJESH GUPTA, Director